

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीसागंन अधिकारी
प्रार्थना पत्र संख्या

श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.
17/2020

बज्जू सिंह उर्फ विजयसिंह पुत्र बगता जाति रावत निवासी लामाना
तहसील पीसागंन जिला अजमेर

....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, पीसागंन जिला अजमेर।
2. सोहनसिंह पुत्र बगता जाति रावत निवासी लामाना तहसील पीसागंन जिला अजमेर

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री शिवचरण शर्मा

- अभिभाषक प्रार्थी

-: निर्णय :- दिनांक 11.08.2020

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम लामाना तहसील पीसागंन के जमाबंदी सवंत 2072-2075 के अनुसार खाता संख्या नया 372 पुराना 338 , खाता संख्या नया 377 पुराना 336 , खाता संख्या नया 683 पुराना 416, खाता संख्या नया 686 पुराना 448 , खाता संख्या नया 687 पुराना 417 , खाता संख्या नया 373 पुराना 337 , खाता संख्या नया 375 पुराना 350 , खाता संख्या नया 525 पुराना 740 की कृषि भूमि जरिये विरासत से प्राप्त होकर प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी रही है। प्रार्थी को बचपन में दो नामों से जाना जाता था । बज्जू सिंह उर्फ विजयसिंह पुत्र बगता परन्तु सहंवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम विजयसिंह पुत्र बगता अंकित हो गया है। जबकि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों में अपना नाम एक ही रखने के लिये प्रार्थी अपने राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र , आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , शैक्षणिक प्रमाण पत्र , पेनकार्ड आदि में तो अपना नाम दुरुस्त करवाते हुए अपना नाम बज्जू सिंह पुत्र बगता अंकित करवा दिया परन्तु राजस्व रिकार्ड में विकास नाम का अकंन होने से बैंक से ऋण एवं अनुदान प्राप्त करने से वंचित होना पड रहा है। जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 ने इकबालिया बयान दिये कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया , मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पीसागंन को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम लामाना तहसील पीसागंन के जमाबंदी सवंत 2072-2075 के अनुसार खाता संख्या नया 372 पुराना 338 , खाता संख्या नया 377 पुराना 336 , खाता संख्या नया 683 पुराना 416, खाता संख्या नया 686 पुराना 448 , खाता संख्या नया 687 पुराना 417 , खाता संख्या नया 373 पुराना 337 , खाता संख्या नया 375 पुराना 350 , खाता संख्या नया 525 पुराना 740 के राजस्व रिकार्ड में विजयसिंह पुत्र बख्तासिंह के स्थान पर विजयसिंह उर्फ बज्जूसिंह पुत्र बख्तासिंह उर्फ बगतासिंह का अकंन किया जावे शेष इन्द्राज यथावत।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी एवं
पदन सहायक जिलाधिकारी
पीसागंन